

# विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
<b>अध्याय-I अवलोकन</b>		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
प्रतिवेदन संरचना	1.3	5
सरकारी लेखे की संरचना और बजटीय प्रक्रिया	1.4	6
राजकोषीय संतुलन: राजकोषीय घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	11
लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा	1.6	15
<b>अध्याय-II राज्य का वित्त</b>		
2020-21 की तुलना में राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	17
राज्य के संसाधन	2.3	19
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	34
लोक लेखा	2.5	56
ऋण प्रबंधन	2.6	60
नकद शेष राशि का प्रबंधन	2.7	69
निष्कर्ष	2.8	72
अनुशंसाएँ	2.9	72
<b>अध्याय-III बजटीय प्रबंधन</b>		
बजट प्रक्रिया	3.1	73
विनियोग लेखे	3.2	74
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रमाणिकता	3.3	76
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.4	82
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी	3.5	88
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.6	89
अनुदान संख्या 39 "आपदा प्रबंधन विभाग"	3.6.1	89
अनुदान संख्या 41 "पथ निर्माण विभाग"	3.6.2	93
विशिष्ट बजट की समीक्षा	3.7	97
जेंडर बजट की समीक्षा	3.7.1	97
बाल कल्याण बजट की समीक्षा	3.7.2	100
हरित बजट की समीक्षा	3.7.3	104
अल्पसंख्यकों के लिए बजट प्रावधानों की समीक्षा	3.7.4	105
परिणाम बजट और उस पर उपलब्धि प्रतिवेदन की समीक्षा	3.7.5	108
संकेतक	3.8	111
अनुशंसाएँ	3.9	111

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
<b>अध्याय-IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार</b>		
राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखे के बाहर की निधि	4.1	113
राज्य सरकार के ऋण (गैर-बजट उधारी) को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.2	115
ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना	4.3	116
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा हस्तांतरण	4.4	117
स्थानीय जमा निधि	4.5	118
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.6	120
सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र	4.7	122
व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता	4.8	123
लघु शीर्ष "800" का अनुचित प्रयोग	4.9	125
मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष	4.10	128
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	4.11	131
नकद शेष का समाशोधन	4.12	132
लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	4.13	132
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.14	132
स्वायत्त निकायों के लेखा / पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण	4.15	135
लेखे की गुणवत्ता और समयबद्धता	4.16	136
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि	4.17	137
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.18	138
राज्य के पुनर्गठन पर शेष राशि का विभाजन	4.19	138
अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय का असमायोजन	4.20	138
चेक एवं विपत्र	4.21	139
सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)	4.22	140
प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (एन0आर0ए0)	4.23	141
एकल नोडल लेखांकन (एस0एन0ए0)	4.24	142
सी0एफ0एम0एस0 में लेखांकन	4.25	144
निष्कर्ष	4.26	146
अनुशंसाएँ	4.27	146
<b>अध्याय-V राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)</b>		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश	5.1	147
सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.2	150
सरकारी कंपनियों और निगमों से प्रतिफल	5.3	154

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
ऋण शोधन	5.4	155
सरकारी कम्पनियों की परिचालन दक्षता	5.5	157
हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0 एवं पूँजी का क्षरण	5.6	160
अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का समापन	5.7	161
लेखों को अंतिम रूप नहीं देने के दौरान एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता	5.8	162
एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.9	163
वित्त लेखे के साथ समाशोधन	5.10	164
विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) का विद्युत क्रय बकाया तथा राज्य वित्त पर इसका प्रभाव	5.11	165
सार्वजनिक उपक्रम समिति (सी0ओ0पी0यू0) के प्रतिवेदन का अनुपालन	5.12	166
अनुशंसाएँ	5.13	166

परिशिष्ट			
क्रम सं०	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1.1	169
2.1	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	2.2	170
2.2	ऋणों की प्रतिकूल शेष राशि	2.4.3.3	174
2.3	अपूर्ण परियोजनाओं पर लंबित भुगतान	2.4.3.4	176
3.1	ऐसे मामले जहाँ निधि लोक लेखा में स्थानांतरित की गयी (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक)	3.3.1	185
3.2	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	3.3.2	187
3.3	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.3	189
3.4	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	3.3.3	194
3.5	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पुनर्विनियोजन के मामले	3.3.3	196
3.6	कुल प्रावधान में से ₹ 100 करोड़ एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग	3.3.4	197
3.7	कुल प्रावधान में से 20 प्रतिशत एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोजन	3.3.4	200
3.8	2017-18 से 2021-22 के दौरान सतत् बचत (₹ 100 करोड़ और उससे अधिक) को प्रदर्शित करने वाले अनुदान	3.3.4	202
3.9	2021-22 में ₹100 करोड़ और उससे अधिक निधि के अभ्यर्पण का विवरण	3.3.4	204

## विषय सूची

परिशिष्ट			
क्रम सं०	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.10	अनुदान/विनियोजन का शत प्रतिशत अनुपयोगी (₹10 करोड़ और उससे अधिक) रहना	3.4.1	205
3.11	मार्च 2022 माह में सघन व्यय	3.4.4	208
3.12	शत प्रतिशत व्यय मार्च 2022 में (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक) किया जाना	3.4.4	209
3.13	गैर-आकस्मिक खर्च के लिए आकस्मिक निधि से निकासी	3.4.5	212
3.14	आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी0आर0आर0) योजनाओं पर अल्पव्यय	3.6.1.2	214
3.15	राज्य योजना और नाबार्ड ऋण के तहत पिछले पाँच वर्षों में चल रही परियोजनाओं का विवरण	3.6.2.3	215
3.16	रूकी हुई और बीच में बंद परियोजनाओं का विवरण	3.6.2.3	220
3.17	विलंबित परियोजनाओं का विवरण	3.6.2.3	221
4.1	निकायों/प्राधिकरणों, जिन्होंने लेखापरीक्षा का कार्य नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपा है	4.15	225
5.1	वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल एस0पी0एस0ई0 का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	5.1.3 & 5.5.1	227
5.2	उन एस0पी0एस0ई0 का विवरण जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं हैं	5.1.3	232
5.3	उन एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता जिनके लेखे 31 जुलाई 2022 को बकाए थे	5.8	236
5.4	एस0पी0एस0ई0 के बकाया लेखाओं का विवरण	5.9.2	239
5.5	31 मार्च 2022 को इक्विटी, ऋण और गारंटी के संबंध में बिहार सरकार के वित्त लेखे और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखे के बीच अंतर	5.10	244
	<b>संकेताक्षरों की शब्दावली</b>		249